

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दोगुना होगा अनुदान

नई पॉलिसी में प्रस्ताव, प्रोटोटाइप ग्रांट, सीड कैपिटल में भी बढ़ोतरी की तैयारी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** प्रदेश के बदले औद्योगिक परिवेश में फोकस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने पर है। इसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी में अनुदानों को दोगुना किया जाने का प्रस्ताव है। नई नीति का फोकस शुरुआती चरण में स्टार्टअप के टिकाऊ विकास, फंडिंग बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और पलायन रोकने पर है।

विकास में अर्थ बाधा न बने, इसलिए प्रस्तावित पॉलिसी में वित्तीय प्रोत्साहनों को और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मसलन, भरण-पोषण भत्ता 17,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये और अवधि 1 साल से 2 साल किया जाएगा। इससे शुरुआती दौर में स्टार्टअप को स्थिरता मिलेगी। वहीं, प्रोटोटाइप ग्रांट को भी दोगुना किया जाएगा। महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और पूर्वांचल-बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप को 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। सीड कैपिटल सहायता भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने की तैयारी है, जो मूल्यांकन के आधार पर 50 लाख रुपये तक जा सकती है। इससे स्टार्टअप के स्केलअप और बाजार में उतरने की क्षमता बढ़ेगी।



मैचिंग ग्रांट से ब्याज तक पर सब्सिडी

नई पॉलिसी में पहली बार मैचिंग ग्रांट का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से फंड प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। साथ ही एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए शुल्क का 75% तक अनुदान भी प्रस्तावित है। स्टार्टअप की वित्तीय लागत कम करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए EPF और ESI में 3 वर्ष तक नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

NBT
Lens
खबरों के
अंदर की बात

**पॉलिसी में
बदलाव क्यों?**

प्रदेश में 2017 और 2020 में अलग-अलग स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई थी, इसके बेहतर परिणाम मिले। 2022 में इसमें अहम बदलाव कर इसे और प्रभावी बनाया गया। लेकिन, उपलब्धियों के बाद कुछ चुनौतियां भी महसूस की गईं। समीक्षा में पाया गया कि स्टार्टअप में अब भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) के जरिए निवेश सीमित है। राष्ट्रीय

डीप टेक स्टार्टअप को खास प्राथमिकता

नई पॉलिसी में डीप-टेक स्टार्टअप को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें चयनित इकाइयों को 40 करोड़ रुपये तक 'पेशेस कैपिटल' और क्लाउड खर्च पर सहायता देने का प्रस्ताव है। इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप वीक, ग्रांड चैलेंज और डीप-टेक हब विकसित किए जाएंगे, जिसमें लखनऊ और नोएडा में U-Hub स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी का उद्देश्य स्टार्टअप को शुरुआती चरण से लेकर विस्तार तक लगातार आर्थिक और संरचनात्मक समर्थन देना है, ताकि प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित किया जा सके। जल्द ही पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

मिशन में प्रदेश के स्टार्टअप की भागीदारी अभी और बेहतर किए जाने की जरूरत है। इसी तरह डीप टेक स्टार्टअप में रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट और मेंटरशिप की संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने नई पॉलिसी में सुविधाओं एवं अनुदान को और आकर्षक बनाया है।